

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday, 29 November, 2001/08, Kartika, 1923 (SAKA)

No.174

(1) **COMMENCEMENT OF THE ELEVENTH (WINTER) SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

Members are informed that the **Eleventh (Winter) Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 18th December, 2001 at 2.00 p.m.** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

(2) **ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THE ELEVENTH SESSION**

The **sittings** of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for **18, 19, 20, 21 December, 2001.**

(3) **TIME OF SITTING OF LEGISLATIVE ASSEMBLY**

The **sitting** of the Legislative Assembly **shall commence at 2.00 p.m.** and continue till it is adjourned for the day unless Speaker directs otherwise.

(4) **NOTICE OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT**

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 36, the Members can give notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice, Starred and Un-starred Questions). In case any member gives notices of more than five questions on any day, only his/her first five notices will be taken up and the remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(5) ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE ELEVENTH SESSION (RULE 37)

For the Eleventh session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:

S.No.	Department	Date of sitting	Last date for receipt of questions for the Deptt. in Col.2	Date of holding ballot for determination of priority for oral answers
<u>1.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>	<u>4.</u>	<u>5.</u>
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Training & Technical Education, Higher Education, Languages, Vigilance, Labour, Transport, Land & Bldg; PWD & Housing, Law & Justice	18.12.2001	04.12.2001 (Tuesday) upto 3.00 PM)	04.12.2001 at 5.00 PM
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Services, Medical & Public Health, Information & Technology, <i>Tail</i> Gurudwara Election	19.12.2001	05.12.2001 (Wednesday) upto 3.00 PM	05.12.2001 at 5.00 PM
3.	Food & Supplies, Public Relations, Sales Tax, Finance, Urban Development, Family Welfare, Social Welfare, Election, Employment, Welfare of SC/ST	20.12.2001	07.12.2001 (Friday) upto 3.00 PM	07.12.2001 at 5.00 PM
4	Irrigation & Flood Control, Industries, Water, Power, Excise, Environment, Forest & Wild Life, Development, tourism	21.12.2001	07.12.2001 (Friday) upto 3.00 PM	07.12.2001 at 5.30 PM

NOTE :

1. Notice of questions for the Eleventh Session will be received with immediate effect.
2. A member **may give notices of upto five questions** in a day including Starred, Un-starred and Short Notice Questions.
3. Members may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various Departments vide Col. No.3&4 on pre-page, such a notice shall stand disallowed. The **time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M.**
4. Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clippings of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
5. The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii)).
6. Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of question. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
7. **Ballot** will be held in the room of the Secretary **at 5.00 P.M.** Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
8. Members may kindly note that **notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).**

6. SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 287

Members who want to raise **matter under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 A.M.** on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of Secretary at 11.15 a.m. on each day. Hon'ble members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the special mention to 10-15 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and one issue and for which the Government of Delhi is responsible.

7. PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

The sitting of the House to be held on Friday the 21st December, 2001 has tentatively been allotted for transaction of Private Members' business. The **notices of Private Members' Bills and Resolutions will be received upto 3.00 P.M. on 5th December, 2001.** The Balloting for inter-se priority will be

- 4 -

held on 5th December, 2001 at 5.00 P.M. in the Room of Secretary. Members are welcome to participate in the Balloting.

8. PROCEDURE OF NOTICES

- a) Kind attention of the members is invited to Rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows: -
1. Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered in Notice Office during working hours.
 2. Unless otherwise provided in these Rules, a notice received in the Notice Office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day.
- b) Every notice should be signed in ink by the member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office.
- c) All notices delivered in the Assembly notice office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- d) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branch/Officers concerned without delay. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.
- e) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly notice office are between 10.00 A.M. and 3.00 P.M. on the date mentioned for the same. Notice left at the notice office after 3.00 P.M. would be treated as having been received at 10.00 A.M. on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

9. VISITORS GALLERY

Attention of the Members is invited to the directions issued by Hon'ble Speaker under Rule 291 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors Gallery. The directions inter alia provide that application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 18th December, 2001 will be accepted upto 5.00 P.M. on the earlier working day i.e., 14th December, 2001 (15-16 & 17 Dec., 2001 being holiday). Similarly, applications for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall be issued to a member for each sitting. No admission cards for the visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery passes for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC., IN THE HOUSE MAY KINDLY BE KEPT SWITCHED OFF.

S.K. SHARMA
SECRETARY

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

Eleventh (Winter) session
Provisional calendar of sittings

18th December, 2001
(Tuesday)

Government Business

19th December, 2001
(Wednesday)

Government Business

20th December, 2001
(Thursday)

Government Business

21st December, 2001
(Friday)

Private Member's Business

दिल्ली विधान सभा

सभाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बृहस्पतिवार 29 नवम्बर, 2001/ कार्तिक 08, 1923 (शक)

संख्या - 174

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का प्रारम्भ ।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का ग्यारहवां सत्र मंगलवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा ।

- (2) ग्यारहवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन ।

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 18, 19, 20 और 21 दिसम्बर, 2001 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

- (3) विधान सभा की बैठकों का समय ।

जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2:00 बजे प्रारम्भ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये ।

- (4) प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट करवाना ।

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-33 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम-36 के अंतर्गत सदस्य (अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित) एक दिन के लिए केवल पांच प्रश्नों की सूचनाएं दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जाएंगी ।

- (5) ग्यारहवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन (नियम-3

मंत्रियों द्वारा ग्यारहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित परणों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है :-

क्र० सं०	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित परणों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि	मौलिक रूप से पूछे जाने वाले परणों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये बैलेटिंग की तिथि
1	2	3	4	5
1	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, परिशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, भाषा, सतर्कता, श्रम, परिवहन, भूमि एवं भवन, लोक निर्माण एवं हाउसिंग, विधि एवं न्याय	18.12.2001	4.12.2001 3.00 बजे तक	4.12.2001 5 बजे
(2)	गृह, राजस्व, योजना, सहकारिता, खाद्य अपभ्रंश, सेवाएं, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गुरुद्वारा चुनाव, का रागार	19.12.2001	5.12.2001 3.00 बजे तक	5.12.2001 5 बजे
(3)	खाद्य एवं संभरण, जनसम्पर्क, बिक्री कर, वित्त, राहरी विकास, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, चुनाव, रोजगार, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण	20.12.2001	7.12.2001 3.00 बजे तक	7.12.2001 5 बजे
(4)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, जल, उर्जा, आबकारी, पर्यावरण,	21.12.2001	7.12.2001 3.00 बजे तक	7.12.2001 5.30 बजे

टिप्पणी

- 1 ग्यारहवें सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी ।
- 2 सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं ।
- 3 माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3:00 बजे तक है ।
- 4 जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है । इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी नहीं की जायेगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
- 5 प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयीं सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें नियम-31(7) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
- 6 माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।
- 7 प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष में 5:00 बजे अपराह्न की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं ।
- 8 माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक परासल और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31 (13) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

(6) नियम 287 के अंतर्गत विरोध उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अंतर्गत विरोध उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11:15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है । सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विरोध उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस समय उस विषय को उठाने समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए ।

(7) गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

शुक्रवार 21 दिसम्बर, 2001 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए आश्रित की गयी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं 5.12.2001 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। प्राथमिकता हेतु बैलेटिंग सचिव के कक्ष में 5.12.2001 को अपराह्न 5:00 बजे की जायेगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वागत है।

(8) नोटिसों की प्रक्रिया

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालनप नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं:-
- (1) प्रत्येक नोटिस जिसकी नियमों के अंतर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी।
 - (2) जब तक नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, नोटिस जो कार्यालय में उपर्युक्त नियमों में दिये गये समय के उपरान्त अन्य किसी समय में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए।
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा नोटिस कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/ अधिकारियों तक पेशित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- (ङ) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच है। सूचना कार्यालय में अपराह्न 3:00 बजे के बाद दी गयी सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे दिया माना जायेगा। इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को सम्बोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है।

(9) दृष्टि दीर्घा प्रवेश पत्र

सदस्यों का ध्यान दृष्टि दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 291 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके

साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 18.12.2001 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 14 दिसम्बर, 2001 को (15, 16 एवं 17.12.2001 को अवकाश होने के कारण) अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यता उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों।

टिप्पणी:

कृपया सेल्यूलर टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें।

यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान

रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें।

एस.के.राम

सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

ग्यारहवां सत्र

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

18 दिसम्बर, 2001 सरकारी कार्य

19 दिसम्बर, 2001 सरकारी कार्य

20 दिसम्बर, 2001 सरकारी कार्य

21 दिसम्बर, 2001 जेरे-सरकारी कार्य
